"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2006—ज्येष्ठ 9, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-11/2006/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,

1. उप नियम 4 की कंडिका (3), (4), (6) एवं उप नियम 5 में शब्द "राज्य सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. उप नियम 4 की कंडिका (5) में शब्द "सूचना आयुक्त" के स्थान पर शब्द "सूचना आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 23rd May 2006

NOTIFICATION

No. F 2-11/2006/1/6.—In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In clause (3), (4), (6) of sub rule 4, and in sub rule (5) the words "State Information Commissioner" the words "State Information Commission" shall be substituted.

2. In clause (5) of sub rule 4, the words "Information Commissioner" the words "Information Commission" shall be substituted.

3. In proviso of sub rule 4 (1) the words "Information Commissioner" the words "Information Commission" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.